

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष— 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स— 0755— 2555162  
E-Mail : ceomplok09@gmail.com Website: www.ceomadhyapradesh.nic.in

क्र. 33/2012/3/ 3857  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/5/12

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय: दिनांक 30.4.2012 को आयोजित वीडियो कांफ़ेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के संबंध में।

दिनांक 30.4.2012 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा वीडियो कांफ़ेसिंग के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कार्य की समीक्षा की गई। उक्त समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पालन प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें।

(एस एस बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 11/5/12

पृ. क्र. 33/2012/3/ 3854

प्रतिलिपि:— कार्यालयीन समस्त शाखाओं को कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें।

(एस एस बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्य प्रदेश

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश

समीक्षा बैठक दिनांक 30.4.2012 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.4.2012 को आयोजित समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण।

उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक प्रोग्रामर द्वारा जिलों से चर्चा की गयी। चर्चा के बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. डोर टू डोर सर्वे की जिले वार समीक्षा की गयी। अधिकांश जिलों में जानकारी अपूर्ण प्राप्त होने की स्थिति के परिपेक्ष्य में निर्देश दिये गये कि सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी ईआरओ/ईईआरओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर अपने क्षेत्र का सधन भ्रमण कर डोर टू डोर सर्वे की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर इस कार्यालय को अवगत करावे।
2. जिलों में बी.एल.ओ. द्वारा सर्वे के दौरान भरे जाने वाले परिशिष्टों को भरा जाना सुनिश्चित करें। विशेषतौर पर जनसंख्या वाले परिशिष्ट-3 को अनिवार्य रूप से भरे जाने के निर्देश दिये हैं जिसकी पुष्टि उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं करें।
3. किये जा रहे सर्वे तथा प्राप्त फार्मों की संख्या विरोधाभासी स्थिति को इंगित करती है। अतः जनसंख्या मतदाता गेप के अनुसार स्थिति में सुधार हेतु निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में मतदान केन्द्र वार आंकड़ों के साथ उपस्थित होने के लिये निर्देश दिये गये।
4. खण्डवा जिले के कार्य को सराहा गया उनके द्वारा ई व्ही एम का फिजिकल वेरीफिकेशन भी 100 प्रतिशत तत्परता से किया गया। डोर टू डोर सर्वे में उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों की संख्या पर संतोष व्यक्त किया गया। इस हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र भेजने के निर्देश दिये गये।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली के देयकों के भुगतान भी विधिवत नियमानुसार दिनांक 10.5.2012 तक करने के निर्देश दिये गये यह भी निर्देश दिये गये कि इसमें अनावश्यक विलम्ब न हो।
6. बी.एल.ओ. की नियुक्ति के संबंध में निर्देशित किया गया कि 1. वह मतदान केन्द्र के क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करता हो। 2. या उसकी पदस्थापना मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत हो। निवास स्थल या कार्य स्थल से बाहर का बीएलओ नियुक्त करना जरूरी हो तो उसका कारण बतावे। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि बी.एल.ओ. नियुक्ति में शिक्षकों की संख्या कम करते हुए अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को नियुक्त किया जावे। अन्त में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डोर टू डोर सर्वे को समय सीमा में पूर्ण किया जाने का निर्देश दिया। सभी आंकड़े दिनांक 31.5.2012 तक कम्प्यूटराईज किये जाकर पूर्ण होकर तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जावें।

धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक समाप्त हुई।